

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण संख्या 129/2016 वाद

उदेराम उर्फ उदयराम कीर

// बनाम //

बंशीलाल कीर व अन्य



वाद धारा 53,88,188,209 रा0का0अधि0

निर्णय

दिनांक 27.08.2019

वादी एवं प्रतिवादी नं0 12 के आवेदन पत्र पर पत्रावली सीगे से तलब की गई। वादी एवं प्रतिवादी नं0 12 मय अधिवक्ता उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र पेश किया और निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी मोहनलाल के बीच आपस में राजीनामा हो गया है। और राजीनामा अनुसार प्रतिवादी मोहनलाल के द्वारा वादी के बताये अनुसार व्यक्ति के नाम उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी मोहनलाल के नाम दर्ज हिस्से एवं मोहनलाल की माता से आने वाले हिस्से सहित के विक्रय की रजिस्ट्री करवाना तह हुआ है। इस कारण वादी अपना वाद एवं प्रतिवादी मोहनलाल अपना काउण्टरक्लेम आगे नहीं चलाकर इसी स्टेज पर विद्वा कर खारिज कराना चाहते है। वादी एवं प्रतिवादी नं0 12 मोहनलाल का वाद एवं काउण्टरक्लेम विद्वा बाबत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः वादी का वाद एवं प्रतिवादी नं0 12 मोहनलाल का काउण्टरक्लेम इसी स्टेज पर विद्वा कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

